तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/4/25 को पेश हो। Bharti	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/4/25 को पेश हो। Bharti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
7/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो।	
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। वाद पत्र वादिया डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर बाद तकमील अभिलेख दफ्तर हो। Bharti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 34 / 2018

1. सम्पति बेवा केशवदेव जाति ब्राह्मण निवासी हाडौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
................वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरका जरिये तहसीलदार उच्चैन ....असल प्रतिवादी
2. महेन्द्र कुमार
3. राजेन्द्र कुमार
4. चन्द्रशेखर पुत्रान केशवदेव
5. गुडिया पुत्री केशवदेव समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी हाडौली तहसील उच्चैन।
...............तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–08.04.2025**

प्रार्थीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.02, 591 / 2.02, 604 / 2.15, 997 / 1.18, 1042 / 5.05, 1513 / 735 / 3.02, 1527 / 1036 / 1.19, 903 / 0.04, 336 / 0.13, 747 / 0.05 वाके ग्राम हाडौली तहसील उच्चैन में स्थित है जो वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासतन अपने पति व पिता से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी का नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादनी सम्पति का नाम रामपति दर्ज कर दिया जबकि सजरा, आधार कार्ड, पहचान दस्तावेज आदि में वादिनी का नाम सम्पति दर्ज है तथा गांव में वादनी को सम्पति के नाम से ही जाना जाता है एवं रामपति नाम की कोई महिला गांव में नहीं है। जब वादिनी अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु राजस्व कर्मचारियों के पास गई तो उन्होंने नाम को शुद्ध करने से स्पष्ट मना कर दिया एवं समक्ष न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण वादिया ने यह वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया हैं

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तरतीवी प्रतिवादीगण के द्वारा लोक अदालत कैम्प 2018 ग्राम मुढेरा में शपथ पत्र पेश किया गया एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा उक्त प्रकरण में जबाव पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हाडौली की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 37,38,39,40 में खातेदार रामपति पत्नि केशवदेव कौम ब्राह्मण निवासी हाडौली नाम अंकित है खातेदार की कैम्प मजमेआम में जांच की गई एव सरपंच ग्राम पंचायत मुढेरा एवं अन्य खातेदार द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये कि रामपति एवं सम्पति दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थीया का नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा। वादिया सम्पति की ओर से उक्त प्रकरण में शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक वादिया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादिया ने दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादिया का नाम रामपति के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में सम्पति किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड, जबाव तहसीलदार, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुढेरा, आधार कार्ड वादिया, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत मुढेरा की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। उक्त समस्त दस्तावेजात में वादिया का नाम सम्पति दर्ज है एवं तहसीलदार उच्चैन एवं सरपंच ग्राम पंचायत मुढेरा के द्वारा सम्पति एवं रामपति एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। वादिया का नाम रामपति के स्थान पर सम्पति राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

वाद पत्र वादिया डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.02, 591 / 2.02, 604 / 2.15, 997 / 1.18, 1042 / 5.05, 1513 / 735 / 3.02, 1527 / 1036 / 1.19, 903 / 0.04, 336 / 0.13, 747 / 0.05 बाके ग्राम हाडौली(मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072) में वादिया का नाम रामपति के स्थान पर सम्पति राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti
भारती गुप्ता (आर०ए०एस०)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

सम्पति बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 34/2018 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री जयप्रकाश शर्मा एडवो. मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 351/1.02, 591/2.02, 604/2.15, 997/1.18, 1042/5.05, 1513/735/3.02, 1527/1036/1.19, 903/0.04, 336/0.13, 747/0.05 वाके ग्राम हाडौली (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2072) के बाबत का नाम रामपति के स्थान पर सम्पति राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 वर्ष 2025 को जारी की गई।

दस्तखत Bharti
सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर.........		
महनताना वकील	)पर.........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र क्रमांकः– 34 / 2018

1. सम्पति बेवा केशवदेव जाति ब्राह्मण निवासी हाडौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

................वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरका जरिये तहसीलदार उच्चैन ....असल प्रतिवादी
2. महेन्द्र कुमार
3. राजेन्द्र कुमार
4. चन्द्रशेखर पुत्रान केशवदेव
5. गुडिया पुत्री केशवदेव समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी हाडौली तहसील उच्चैन।

..............तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)